2018 का विधेयक संख्यांक 72

[दि चिट फंड्स (अमेंडमेंट) बिल, 2018 का हिन्दी अनुवाद]

चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018

चिट फंड अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2018 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1982 का 40

2. चिट फंड अधिनियम, 1982 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ख) में, "कुरी" शब्द के पश्चात् ", मैत्री फंड" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"चिट", "चिट फंड", "चिट्टी", "कुरी" या "मैत्री फंड" शब्दों का प्रयोग ।

"11. (1) कोई भी व्यक्ति चिट कारबार तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह अपने नाम के भाग के रूप में "चिट", "चिट फंड", "चिट्टी", "कुरी" या "मैत्री फंड" शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और चिट कारबार करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर,--

(क) कोई व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों में से, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, किसी शब्द का प्रयोग किए बिना चिट कारबार कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति, जो चिट कारबार नहीं कर रहा है, अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है,

वहां वह ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसे किसी शब्द को अपने नाम के भाग के रूप में जोड़ लेगा या ऐसे शब्द को अपने नाम में से हटा देगा :

परंतु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझती है, तो वह एक वर्ष की उक्त अवधि को, ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगी, जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो ।" ।

धारा 16 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में, "अनुसार और" शब्दों के पश्चात् "वैयक्तिक रूप से या प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से अभिलिखित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 17 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में,--

(i) "अभिकर्ताओं द्वारा जो" शब्दों के पश्चात् "वैयक्तिक रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन उपस्थित होने के लिए अपेक्षित दो अभिदाता वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं, वहां प्रधान, इनाम निकालने की तारीख से दो दिन की अवधि के भीतर कार्यवाहियों के, ऐसे अभिदाताओं के हस्ताक्षरित, कार्यवृत्त रखेगा ।"।

धारा 21 का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) में "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सात प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(च) व्यतिक्रमी अभिदाताओं के स्थान पर दूसरे अभिदाताओं को रखने का हकदार होगा ;

(चक) अन्य गैर इनामी चिटों में जमा अतिशेष के विरुद्ध अपने धारणाधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा ; और ।"

धारा 85 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 85 के खंड (ख) में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

चिट फंड अधिनियम, 1982 को चिट फंडों के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो भारत में देशी कारबार है और जिसने निम्न आय वाली गृहस्थियों की वित्तीय आवश्यकताओं की परम्परागत रूप से पूर्ति की है । चिट एक ऐसा तंत्र है जो किसी स्कीम में जमा और बचतों को मिश्रित करता है, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह किसी पूर्व अवधारित समयावधि के लिए एक साथ होता है और आवधिक किस्तों के माध्यम से धन की कतिपय राशि का अभिदाय करता है और ऐसा प्रत्येक अभिदाता लाटरी द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट रीति में यथा अवधारित अपनी बारी आने पर संगृहीत राशि प्राप्त करता है । इस प्रकार से वे व्यक्ति, जिनको निधियों की आवश्यकता है और जो बचत करना चाहते हैं, वे अपनी आवश्यकताओं की समकालीन रूप से पूर्ति करने में समर्थ होते हैं ।

2. पूर्व में विभिन्न पणधारियों द्वारा चिट कारबार द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की बाबत चिंताएं अभिव्यक्त की जाती रहीं थी । इसलिए केंद्रीय सरकार ने चिट फंड के लिए विद्यमान विधिक, विनियामक और संस्थागत ढांचे का और इसकी प्रभावोत्पादकता का पुनर्विलोकन करने के लिए तथा उक्त सेक्टर के सुव्यवस्थित विकास के लिए अपेक्षित विधिक और विनियामक पहल पर सुझाव देने के लिए चिट फंड पर प्रमुख सलाहकारी समूह गठित किया था । प्रमुख सलाहकारी समूह ने चिट कारबार के विनियामक भार को कम करने के क्रम में चिट कारबार का और विकास करने के लिए तथा चिटों के अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए संस्थागत और विधिक ढांचे में सुधारों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी ।

3. वित्त (सोलहवीं लोक सभा) पर संसदीय स्थायी समिति ने एकीकृत विनिधान स्कीम (सीआईएस), चिट फंड इत्यादि के विनियमन की प्रभावोत्पदकता पर अपनी इक्कीसवीं रिपोर्ट में भी रजिस्ट्रीकृत चिट फंड सेक्टर को सुदृढ़ किए जाने और सरल तथा कारगर बनाने के लिए विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की सिफारिश की थी । इसके अतिरिक्त उक्त समिति ने इक्कीसवीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी इकत्तीसवीं रिपोर्ट में चिट फंड सेक्टर के लिए विधायी और प्रशासनिक प्रस्तावों को शीघ्रता से निश्चित करने की आवश्यकता की सिफारिश की थी ।

4. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए चिट फंड अधिनियम, 1982 का संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है । तदनुसार, चिट फंड संशोधन विधेयक, 2018 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्ताव हैं–

(क) धारा 2ख और धारा 11 का संशोधन करके चिटों के लिए "मैत्री फंड" का भी उपयोग ;

(ख) धारा 16(2) के अधीन यथा अपेक्षित दो अभिदाताओं की आज्ञापक उपस्थिति को अनुज्ञात करना, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से अभिलिखित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ;

(ग) जहां दो अभिदाताओं की आज्ञापक उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से थी, वहां कार्यवाहियों के कार्यवृत्त पर उनके हस्ताक्षर दो दिन के भीतर होने चाहिए ;

(घ) धारा 21 के अधीन प्रधान के कमीशन की सीमा को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर सात प्रतिशत करना ;

(ड.) प्रधान को अभिदाताओं से शोध्यों के लिए धारणाधिकार रखने के लिए समर्थ बनाना, जिससे उन अभिदाताओं के चिट फंड द्वारा मुजरे को अनुज्ञात किया जा सके, जिन्होंने पहले ही फंड ले लिए हैं, जिससे उनके द्वारा व्यतिक्रम किए जाने को निरुत्साहित किया जा सके ;

(च) धारा 85ख का संशोधन करना, जिससे राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा ऐसी रकम विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदत्त की जा सके, जिस तक कोई चिट फंड उक्त धारा के अधीन छूट प्राप्त होगा ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
28 फरवरी, 2018

अरुण जेटली

उपाबंध

चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्यांक 40) से उद्धरण

* * * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

* * * * * * *

(ख) "चिट" से कोई ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, चाहे वह चिट, चिट फंड, चिट्टी, कुरी या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो, जिसके द्वारा या जिसके अधीन कोई व्यक्ति, व्यक्तियों की किसी विनिर्दिष्ट संख्या के साथ यह करार करता है, कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित अवधि में कालिक किस्तों के रूप में एक निश्चित धनराशि का (या उसके बदले में अनाज की निश्चित मात्रा का) अभिदाय करेगा और ऐसा प्रत्येक अभिदाता अपनी बारी पर, जो लाट द्वारा या नीलामी द्वारा या निविदा द्वारा या चिट करार में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य रीति से अवधारित हुई हो, इनामी रकम पाने का हकदार होगा ।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के अर्थ में, कोई संव्यवहार चिट नहीं है यदि ऐसे संव्यवहार में,–

(i) अभिदाताओं में से केवल कुछ ही अभिदाता आगामी अभिदायों का संदाय करने के किसी दायित्व के बिना इनामी रकम प्राप्त करते हैं, किन्तु सब नहीं ; या

(ii) सभी अभिदाता बारी-बारी से चिट की रकम आगामी अभिदायों का संदाय करने के दायित्व के साथ प्राप्त करते हैं ;

* * * * * * *

"चिट", "चिट फंड", "चिट्टी" या "कुरी" शब्दों का प्रयोग ।

11. (1) कोई भी व्यक्ति चिट कारबार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह अपने नाम के भाग के रूप में, "चिट", "चिट फंड", "चिट्टी" या "कुरी" शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और चिट कारबार करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर,–

(क) कोई व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों में से, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, किसी शब्द का प्रयोग किए बिना चिट कारबार कर रहा है ; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति जो चिट कारबार नहीं कर रहा है, अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है,

वहां वह ऐसे प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसे किसी शब्द को अपने नाम के भाग के रूप में जोड़ लेगा या ऐसे शब्द को अपने नाम में से हटा देगा :

परन्तु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझती है तो वह एक वर्ष की उक्त अवधि को, ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगी जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो ।

* * * * * * *

16. (1) * * * * * * चिटों का संचालन करने की तारीख, समय और स्थान ।

(2) प्रत्येक ऐसा इनाम चिट करार के उपबंधों के अनुसार और कम से कम दो अभिदाताओं की उपस्थिति में संचालित किया जाएगा ।

* * * * * * *

17. (1) प्रत्येक इनाम निकालने की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इनाम निकालने की समाप्ति के तुरन्त बाद तैयार किए जाएंगे और उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली बही में दर्ज किए जाएंगे और उन पर प्रधान द्वारा, इनामी अभिदाताओं द्वारा, यदि वे उपस्थित हों, या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा और कम से कम दो ऐसे अन्य अभिदाताओं द्वारा जो उपस्थित हों और जहां धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन निदेश दिया गया है वहां रजिस्ट्रार द्वारा या उस उपधारा के अधीन उसके द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे । कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ।

* * * * * * *

21. (1) प्रधान– प्रधान के अधिकार ।

* * * * * * *

(ख) ऐसी रकम का, जो चिट रकम के पांच प्रतिशत से अधिक न हो, और जो चिट करार में नियत की जाए, कमीशन, पारिश्रमिक के रूप में या चिट चलाने के व्यय को पूरा करने के लिए हकदार होगा ;

* * * * * * *

(च) व्यतिक्रमी अभिदाताओं के स्थान पर दूसरे अभिदाताओं को रखने का हकदार होगा ; और

* * * * * * *

85. इस अधिनियम की कोई भी बात,– अधिनियम का कुछ चिटों को लागू न होना ।

* * * * * * *

(ख) किसी ऐसी चिट के सम्बन्ध में जिसकी रकम, या जहां दो या अधिक चिटें एक ही प्रधान द्वारा एक साथ प्रारंभ की गई या संचालित की गई हैं वहां उनकी कुल रकम एक सौ रुपए से अधिक नहीं है,

लागू न होगी ।

* * * * * * *

MGIPMRND—4351LS(CRC)—01-03-2018.